Result Mitra Daily Current Affairs

विश्व जनसंख्या दिवस

- 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है
- 11 जुलाई १९९० को पहली बार यह दिवस ९० से अधिक देशों ने मनाया था।
- विश्व जनसंख्या दिवस के वर्तमान उद्देश्यः वैश्विक जनसंख्या मुद्दों तथा सतत विकास पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के द्वारा वर्ष 1989 में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाए सिफारिश की गई
- तत्कालीन उद्देश्य :- उद्देश्य जनसंख्या के मुद्दों की तात्कालिकता और महत्त्व पर ध्यान केंद्रित करना ।

11 जुलाई को ही क्यों चुना गया

1987 में 11 जुलाई को ही विश्व की जनसंख्या 5 अरब हुई थी इसी कारण इस दिन को "फाइव बिलियन डे" कहा
 गया. तथा इसी कारण प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को 1989 से विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाने लगा।

भारत में जनसंख्या संबंधी मुद्दे:

- भारत की वर्तमान जनसंख्या एक अरब ४२ करोड़ है
- 2011 की जनगणना के अनुसार
- भारत के पास विश्व भूभाग का २% है और जबिक वैश्विक जनसंख्या का 17.5% भारत के पास है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश था जबकि 2024 में भारत जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर दुनिया में आ गया है

भारत में तीव्र जनसंख्या विकास के कारण

- भारत में जन्म दर अधिक है जबकि मृत्यु दर कम।
- इसी के परिणामस्वरूप पिछले कुछ दशकों में भारत की जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि देखने को मिली हैं।
- भारत में हाल के समय में कुल प्रजनन दर (TFR) में गिरावट देखी गई है। वर्तमान में भारत में कुल प्रजनन दर
 2.2 प्रति महिला है।
- TFR प्रजनन अवधि :- यह उस समय को दर्शाता है जब 15-49 वर्ष की उम्र की महिला द्वारा पैदा किये वाले बच्चों की औरत संख्या कितनी है

शिक्षा से जनसंख्या वृद्धि पर पड़ने वाले प्रभाव :-

- अशिक्षा के कारण जनसंख्या, विस्फोटक गति से बढ़ रही हैं जिसका प्रभाव सीधे-सीधे हमें गरीबी और शिक्षा पर देखने को मिलता हैं।
- देश में साक्षरता दर ७४.०४ प्रतिशत है, जिसमें पुरुषों के लिए ८२.१४ और महिलाओं के लिए ६५.४६ प्रतिशत है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक बच्चों को जन्म दिया जाता है इसके पीछे यह अवधारणा काम करती है कि यह बच्चे बुढ़ापे
 में माता-पिता की सेवा करेंगे तथा अधिक बच्चों के होने का अर्थ है अधिक कमाई करने वाले हाथ।
- अधिक बच्चों को जन्म देने का कारण महिलाओं के अशिक्षित होने से भी हैं क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार निरक्षर महिलाओं की प्रजनन दर साक्षर महिलाओं की तुलना में अधिक होती हैं।
- भारत में अशिक्षा तथा जागरूकता की कमी के कारण बच्चों को भगवान की दिन माना जाता है।
- शिक्षा का अभाव महिलाओं को गर्भ निरोधकों के उपयोग तक नहीं पहुंचने देता।
- शिक्षा का अभाव महिलाओं को अधिक बच्चों को जन्म देने से पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी में बाधक होता है।

बेरोज़गारी :-

- अधिक जनसंख्या का अर्थ है आने वाले समय में अधिक बेरोजगारी।
- अधिक जनसंख्या के कारण आने वाले समय में संसाधनों के ऊपर भी अतिरिक्त दबाव पड़ेगा।




उदयगिरि और खंडगिरि गुफाएं

चर्चा में क्यों

- हाल ही में भारत की राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा उदयगिरि और खंडगिरि गुफाओं का दौरा किया गया।
- अवस्थित :- उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास
- इन गुफाओं का निर्माणकाल :- ईसा पूर्व पहली-दूसरी शताब्दी में
- निर्माणकर्ता :- कलिंग शासक मेघवाहन वंश के राजा खारवेल द्वारा (Kalinga King Kharavela) ।
- प्राचीन नाम :- कहक गुफाएं या कटक गुफाएं
- निर्माण का उद्देश्य :- जैन भिक्षुओं के निवास के लिये बनाई गई

विशेषता

- इन गुफाओं का निर्माण कुमारी पर्वत श्रंखला के अंतर्गत किया गया।
- चहान काटकर बनाई गई गुफा परंपरा के ओडिशा में सबसे प्रारंभिक उदाहरण।
- उदयगिरि की पहाड़ी में 18 और खंडगिरि में 15 गुफाएँ हैं।
- इन गुफा परिसर में हमें मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार की गुफाएँ प्राप्त होती है।
- उदयगिरि और खंडगिरि गुफाओं को एएसआई द्वारा आदर्श स्मारकों में से एक के रूप में सूचीबद्ध
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने इन गुफाओं को "जरूर देखने लायक" भारतीय धरोहरों की सूची में रखा है
- उदयिगरि गुफा को उगते सूरज की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है।
- उदयगिरि की गुणाओं से ही हाथीगुंफा शिलालेख प्राप्त होता हैं इस लेख को ब्राह्मी लिपि में उकेरा गया था।



भारतीय प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रिया दौरा

चर्चा में क्यों

- हाल ही में भारतीय प्रधानमन्त्री रूस और ऑस्ट्रिया से दौरे पर है जिसमे अभी रूस के बाद ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ४१ साल बाद ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री है जो ऑस्ट्रिया के दौरे पर पहुंचे।
- वर्ष १९८३ अंतिम भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जिन्होंने ऑस्ट्रिया का दौरा किया था।
- भारतीय प्रधानमन्त्री का यह दौरा इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष ऑस्ट्रिया भारत के साथ अपने राजनियक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहा हैं।
- भारत और ऑस्ट्रिया के मध्य राजनीतिक संबंध 1949 में स्थापित हुए थे
- भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरु थे जिन्होंने ऑस्ट्रिया का दौरा किया ।
- जब १९४९ में ऑस्ट्रिया के साथ राजनिक संबंध स्थापित हुए तो जवाहरताल नेहरू ने १९५५ में पहली बार ऑस्ट्रिया का दौरा किया।
- जवाहर लाल नेहरू के बाद ऑस्ट्रिया का दौरा करने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी इन्होंने 1971 में ऑस्ट्रिया की यात्रा की ।
- प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की यात्रा के नौ वर्ष बाद 1980 में तत्कालीन ऑस्ट्रियाई चांसलर ब्रूनो क्रेस्की ने भारत की यात्रा की ।
- ऑस्ट्रियाई चांसलर ब्रूनो क्रेस्की की यात्रा के बाद 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दूसरी बार ऑस्ट्रिया की यात्रा की।
- ऑस्ट्रिया के तत्कालीन चांसलर फ्रेंड सिनोवात्ज ने १९८४ में भारत की यात्रा की ।
- इंदिरा गांधी के 1983 में हुए ऑस्ट्रिया दौरे के बाद नरेंद्र मोदी के पहुंचने तक कोई प्रधानमंत्री वियना नहीं गया।
- भारत की तरफ से प्रधानमंत्री स्तर पर यह तीसरा दौरा है।
- भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में यह चौथा दौरा है जबकि व्यक्ति विशेष के रूप में यह तीसरा दौरा है क्योंकि इंदिरा गांधी ने दो बार यात्रा (1971 और 1983) की थी।
- इंदिरा गांधी के बाद भले ही अब नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया हो परंतु उनके मध्य भारत की ओर से राष्ट्रपति ,मंत्री और कई सांसद लगातार ऑस्ट्रेलिया का दौरा करते रहे।

ऑस्ट्रिया

- राजधानी :- वियना
- ऑस्ट्रिया यूरोपीय यूनियन में १९९५ में शामिल हुआ
- यह मध्य यूरोप में रिथत एक स्थल रुद्ध देश हैं।
- इसकी मुख्य और राजकीय भाषा जर्मन है।
- मुद्रा यूरो हैं।
- इसकी सीमा से लगने वाले देश :-

- उत्तर में :-जर्मनी और चेक गणराज्य से,
- पूर्व में :- स्लोवाकिया और हंगरी से,
- दक्षिण में :- स्लोवाकिया और इटली
- पश्चिम में :- श्विटजरलैंड और लिक्टेंस्टीन

ऑस्ट्रिया भारत से क्या आयात करता है:-

 ऑस्ट्रिया भारत से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकल उपकरण, मशीनरी, परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, रेलवे, वाहन, फुटिक्यर और इससे जुड़े अन्य सामान, बिना सिले कपड़े, सिले हुए कपड़े, ऑर्गेनिक केमिकल, आयरन और स्टील, कांच और कांच के बने सामान, कालीन, कपास, नमक, सल्फर, मिट्टी, पत्थर, प्लास्टर, चूना, सीमेंट, तांबा, विमान, अंतरिक्ष यान, चिकित्सा उपकरण, खाने योग्य फल, मेवे, खट्टे फल के छिलके और खरबूजे



अहोम युग के 'मोइदम्स'

चर्चा में क्यों

- हाल ही में यूनेरको की विश्व धरोहर सूची में अहोम युग के 'मोइदम्स' को शामिल करने की सिफारिश की गई।
- किसने की सिफारिश :- अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद (ICOMOS) ने
- किन्हें सामिल करने की :- असम के अहोम युगीन 'मोइदम' को

'मोइदम' :-

- इनका संबंध असम के अहोम राजवंश से हैं
- यह कब्र नुमा टीले हुआ करते थे
- इनका प्रयोग अहोम राजवंश के राजाओं, रानियों एवं शाही परिवार के लोगों के लिए कब्रगाह के रूप में लिया जाता था।
- 'मोइदम' की प्राप्ति हुमे ऊपरी असम के जिलों से होती हैं।
- इनकी तुलना मिस्र के पिरामिड से भी की जाती है।

'मोइदम' की स्थापत्य संबंधी विशेषताएं:

- मोइदम का आकार एक साधारण टीले से एक छोटी पहाड़ी जितनी ऊंचाई तक हो सकता है।
- मोइदम का आकार इस बात पर निर्भर करता था की दफनाए गए व्यक्ति की हैंसियत कितनी हैं।
- उसका दर्जा कितना बड़ा है, उसकी सत्ता कितने बड़ी है, और उसके पास संसाधनों की कितनी उपलब्धता है।
- 'मोइदम' का बाहरी भाग अर्धगोलाकार हुआ करता था है।

मोइदम में तीन प्रमुख विशेषताएं पाई जाती हैं :-

- एक गुंबदाकार कक्ष हुआ करता जिसके बीच में एक ऊंचा चबूतरा बनाया जाता , उसका प्रयोग शव को को रखने के लिए किया जाता ।
- ईट की जो आरंभिक संख्वना होती इसे चाउ-चाली कहा जाता।
- ईट की आरंभिक संख्वना को मिट्टी का एक अर्थगोलाकार टीला ढके हुए होता। ईट की इस संख्वना के ऊपर प्रतिवर्ष चढ़ावा चढ़ाएं जाने की परंपरा थी।
- टीले के आधार को घेरे हुए चारों ओर एक अष्टकोणीय दीवार हुआ करती तथा इसमें प्रवेश करने के लिए पश्चिम में
- मृतक व्यक्ति के साथ कुछ वस्तुओं को भी रखा जाता जैसे राजसी प्रतीक चिन्ह; हाथी दांत लकड़ी या लोहे से बनी वस्तुएं; सोने के आभूषण।
- अहोम राजवंश का आधिकारिक धर्मवैधानिक ग्रंथ चांगरंग फुकन था जिससे हमे 'मोइदम' के निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्रियों की जानकारी प्राप्त होती हैं।
- 'मोइदम' के निर्माण में लकड़ी, पत्थर और पकी हुई ईटें का प्रयोग किया जाता।

अहोम साम्राज्य

- इस वंश की स्थापना १३वीं शताब्दी में हुई।
- संस्थापक :- छौ लुंग सुकफा ने
- पहली राजधानी :- पटकाई पहाड़ियों की तलहटी में स्थित चराईदेव में स्थापित की।
- अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद ICOMOS यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का एक सलाहकार निकाय है।
- ICOMOS के कार्य :- यूनेस्को के विश्व धरोहर कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए कार्य करना ।



मुस्तिम महिला और गुजारा भत्ता

चर्चा में क्यों

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है जिसमें मुस्लिम महिलाओं को भी अपने पितयों से गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी माना है
- सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय CrPC की धारा 125 के तहत दिया है।

क्या था मामला :-

- यह मामला एक याचिका की सुनवाई से संबंधित था।
- इस याचिका को मोहम्मद अब्दुल समद नामक व्यक्ति ने दायर किया था
- मोहम्मद अब्दुल समद ने कुछ समय पहले अपनी पत्नी से तलाक लिया था तथा उनकी पत्नी ने तेलंगाना हाई कोर्ट में गुजारा भत्ता प्राप्त करने के लिए एक अपील दायर की थी।
- इसी अपील पर सुनवाई करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट ने मोहम्मद अब्दुल समद को अपनी तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता के रूप में हर महीने ₹10000 देने का आदेश दिया था
- इसी आदेश के खिलाफ मोहम्मद अब्दुल समद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।

याचिकाकर्ता की दलील थी कि:-

- एक तलाकश्रुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार नहीं है और उसे मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को लागू करना होगा।
- इस मामले पर सुनवाई जरिटस बीवी नागरत्ना और जरिटस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने की।
- तथा दोनों जजों ने अलग-अलग फैसले सुनाए
- न्यायमूर्ति नागरत्ना ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा,
- "धारा १२५ सभी महिलाओं पर लागू होगी, न कि शिर्फ विवाहित महिलाओं पर ।"
- न्यायमूर्ति द्वारा कहा गया की भरण-पोषण कोई दान नहीं बल्कि विवाहित महिलाओं का अधिकार है और यह
 भरण-पोषण का अधिकार सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होता है, चाहे वे किसी भी धर्म की हों।

सीआरपीसी की धारा 125

- यह धारा भरण-पोषण से संबंधित है जिसके अंतर्गत पत्नी, संतान और माता-पिता के भरण-पोषण की जानकारी दी गई है।
- इस धारा में उल्लेख है की पत्नी, मां-बाप या बच्चे जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है और वे पित,
 पिता या बच्चों पर आश्रित है तो उन्हें गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा।

क्या है मुस्तिम महिलाओं के गुजारा भत्ता के लिए इस्लामिक कानून

- मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता का अधिकार नहीं हैं।
- अगर गुजारा भत्ता मिलता भी है तो सिर्फ इहत तक।
- इदत एक इस्लामिक परंपरा होती हैं
- इसके अनुसार, अगर किसी महिला को उसके पित ने तलाक दे दिया तो वो महिला तीन महीने की अवधि तक शादी नहीं कर सकती।
- यह तीन महीने की अवधि इहत कहलाती हैं।
- कोर्ट ने कहा :- सीआरपीसी की धारा 125 सभी धर्म की महिलाओं के ऊपर समान रूप से लागू होती है जिसके तहत मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं भी अपने प्रति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं।

